न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 8/2020 GCMS NO 2020/00045
दायरा तिथि : 25.06.2020
आदेश तिथि : 13.07.2021

प्रार्थी :–
श्री प्रेमा पुत्र सामतीजी जाति रेबारी
निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. अन्नाराम पुत्र भबुतारामजी जाति रेबारी निवासी बीजापुर
2. अशोककुमार पुत्र वीरारामजी जाति कुम्हार
3. उम्मेदपुरी पुत्र सूरजपुरीजी जाति कुम्हार रेकर्ड के अनुसार **(वास्तविक जाति गुसाई)**
4. गंगाराम पुत्र वालारामजी जाति कुम्हार
5. चौथी पुत्री वालारामजी जाति कुम्हार
6. डूँगाराम पुत्र वालारामजी जाति कुम्हार
7. तुलसी पत्नि वीरारामजी जाति कुम्हार
8. दौलीबाई पत्नि वालारामजी जाति कुम्हार
9. प्रतापराम पुत्र जीवारामजी जाति कुम्हार
10. बाबुलाल पुत्र जीवारामजी जाति कुम्हार
11. मदनलाल पुत्र वीरारामजी जाति कुम्हार
12. कलाराम पुत्र वनीबाई, जाति कुम्हार निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 13.07.2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1175 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म नहरी दोयम मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बीजापुर के खसरा नंबर 1182, 1182/1, 1180, 1179 रकबा क्रमशः 0.12 हैक्टर, 0.32 हैक्टर, 0.24 हैक्टर, 0.30 हैक्टर किस्म नहरी दोयम मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।. तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2020/1904 दिनांक 09.09.2020 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1175 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म नहरी दोयम की भूमि प्रार्थी श्री प्रेमा पुत्र सामती जाति रेबारी निवासी बीजापुर तहसील बाली के नामसे खातेदारी दर्ज हैं। उक्त भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। खातेदारान् की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1182/1	0.32 हैक्ट.	नहरी दोयम	34 X 1.50 = 51 वर्गमीटर	श्री अन्नाराम पुत्र भबुताराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर
2	1182	0.12 हैक्टर	नहरी दोयम	17 X 1.50 = 25.50 वर्गमीटर	श्री अन्नाराम पुत्र भबुताराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर
3	1180	0.24 हैक्टर	नहरी दोयम	28 X 1.50 = 42 वर्गमीटर	श्री अन्नाराम पुत्र भबुताराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर
4	1179	0.30 हैक्टर	नहरी दोयम	79 X 2.50 = 197.50 वर्गमीटर 11 X 4 = 44 वर्गमीटर	बाबुलाल पुत्र जीवाराम जाति कुम्हार वगैरा निवासी बीजापुर

कुल 360 वर्गमीटर

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार...02

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 8/2020 GCMS NO 2020/00045
अनवान प्रेमा बनाम अन्नाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बीजापुर की डी.एल.सी.दर 256230— रूपये प्रति हैक्टर है। (तहसीलदार, बाली के पत्रांक/पंजीयन/2021/639 दिनांक 13.07.2021 से प्रेषित रिपोर्ट अनुसार)

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि के खसरा नंबर 1182/1, 1182, 1180 में 1.50 मीटर भूमि को छोडकर तारबन्दी की हुई है। अतः इस कारण से 1.50 मीटर भूमि को प्रस्तावित की गई है। खसरा नंबर 1180 में 13 मीटर भूमि पर पक्की दीवार होने से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की जाकर सामने के खसरा नंबर 1179 में ही 11X 4=44 मीटर भूमि को रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई हैं। खसरा नंबर 1179 में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अन्य खसरा नंबर 1180 की भूमि में किये गये निर्माण में कमरा बना हुआ हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 से 08 व 11, 12 बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन आदिनांक तक अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कर्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03, 09, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री अययूबअली द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बावजुद किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई, जिससे आदेशिका दिनांक 10.03.2021 से पत्रावली को बहस के लिये रखा गया। बहस के लिये तीन बार समय अवसर दिये जाने के बावजुद अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये, जिससे वकील प्रार्थी श्री गणपतसिंह राजपुरोहित की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर के पत्रांकः राजस्व/2020/1904 दिनांक 09.09.2020 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच के पश्चात् प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1175 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म नहरी दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1182/1, 1182, 1180, 1179 मे से कुल 360 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावें। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :—

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 256230/— प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1182/1	0.32 हैक्ट.	34 X 1.50 = 51 वर्गमीटर	25.62	1306X2=2612	श्री अन्नाराम पुत्र भबुताराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर
1182	0.12 हैक्टर	17X1.50 = 25.50 वर्गमीटर	25.62	667X2=1334	श्री अन्नाराम पुत्र भबुताराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर
1180	0.24 हैक्टर	28 X 1.50 = 42 वर्गमीटर	25.62	1076X2=2152	श्री अन्नाराम पुत्र भबुताराम जाति रेबारी निवासी बीजापुर
1179	0.30 हैक्टर	79X2.50= 197.50 वर्गमीटर 11 X 4 = 44 वर्गमीटर	25.62	5080X2=10160 1128X2=2256	बबुलाल पुत्र जीवाराम जाति कुम्हार वगैरा अप्रार्थी सं0 02 से 11 निवासीगण बीजापुर.
	योग	360 वर्गमीटर		9257X 2=18514	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **18514— (अक्षरे अट्ठारह हजार पॉच सौ चौदह)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जावेगी।

पेज लगातार...03

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 8/2020 GCMS NO 2020/00045
अनवान प्रेमा बनाम अन्नाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

13/7/21
(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2021/550-555
दिनांक :13-07.2021

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली/नायब तहसीलदार, बेडा
2. भू.अ.निरीक्षक बीजापुर
3. पटवारी हल्का बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक प्रेमा पुत्र सामती जाति रेबारी नि. बीजापुर को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

13/7/21
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner